Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार प्रकरण : एसीबी द्वारा जेजेएम भ्रष्टाचार प्रकरण में 10 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश,
- अन्य के खिलाफ अनुसंधान जारी
- सुबोध अग्रवाल सेवानिवृत आईएएस का दो दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत।

जयपुर, 13 अप्रैल, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा जल जीवन मिशन में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 245/2024 में अनुसंधान उपरांत आज माननीय न्यायालय में 10 अभियुक्तों (**दिनेश गोयल हाल मुख्य अभियन्ता प्रशासन, के. डी. गुप्ता तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, सुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव आरडब्लयूएसएसएमची तत्कालीन अति. मुख्य अभियन्ता, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय, सुशील शर्मा तत्कालीन वितीय सलाहकार अक्षय उर्जा, निरिल कुमार तत्कालीन मुख्य अभियन्ता चुरू, विशाल सक्सेना अधिशाषी अभियन्ता तत्कालीन निलम्बित, अरूण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हाल सेवानिवृत, श्री डी. के. गौड तत्कालीन मुख्य अभियन्ता व तकनीकी सदस्य हाल सेवानिवृत, महेन्द्र प्रकाश सोनी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त एवं मुकेश पाठक प्राईवेट व्यक्ति**) जिन्हें एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहें हैं, के विरुद्ध आरोप–पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में इनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्ति हेतु एसीबी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर विभाग को प्रेषित की जाएगी एवं अन्य शेष सभी के विरूद्ध अनुसंधान जारी हैं।

प्रकरण में श्री जितेंद्र शर्मा (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), श्री मुकेश गोयल (सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर) एवं श्री संजीव गुप्ता (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध जारी स्थायी वारंट (Standing Warrant) की तामील हेतु ब्यूरो की टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, तथा इनकी संपत्ति का विवरण संकलित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही इनकी संपत्ति अटैचमेन्ट(कुर्क) की कार्यवाही करवायी जाएगी।

आज दिनांक 13 अप्रैंल 2026 को श्री सुबोध अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएएस को माननीय न्यायालय में पुलिस कस्टडी (PC) हेतु प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुनने के उपरांत सुबोध अग्रवाल सेवानिवृत्त आईएएस का दो दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय में इस प्रकरण से सम्बधिंत 11 रिटों में हाल आगामी सुनवाई की तिथि 21 अप्रैल 2026 निर्धारित की गयी हैं।